Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

पंचायतीराज अधिनियम के द्वारा जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का विकास (सतना जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. राजेश त्रिपाठी* कृष्णपाल सिंह परमार**

* एसो. प्रोफेसर (समाजशास्त्र) म.गा.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (समाजशास्त्र) म.गा.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत गाँव का देश है भारत की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। देश में तीन तरह का समाज पाया जाता है जनजातीय समाज, ग्रामीण समाज एवं शहरी समाज। जनजातीय समाज अत्यंत पिछड़ा एवं अविकसित होने के कारण विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाता है। अत: जनजातीय समाज को पंचायतीराज अधिनियम के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि जनजातीय समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का विकास। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि पंचायत में महिला आरक्षण उन्हें सशक्त बना देगा। जनजातीय समाज की महिलाओं में क्षमता और ऊर्जा का कोई अभाव नहीं है अगर समाज उनका साथ दे तो जनजातीय महिलाएं पंच और सरपंच से अधिक विकास कर वे अपने अनुभव के आधार पर अपने आप को विधान सभाओं और लोकसभा में जाने के लिए तैयार कर सकेंगी।

प्रस्तावना – भारत देश में प्राचीन काल से पंचायतों का किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहा है। पंचायत को स्वशासन की इकाई माना जाता है स्वायत्तशासी संस्थाएं लोकतंत्र का मूलाधार है सही लोकतंत्र की स्थापना तभी मानी जा सकती है जब देश के निचले स्तरों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रसार किया जाए और उन्हें स्थानीय विषयों का प्रशासन चलाने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। ये संस्थाएं ही लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला एवं लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रत्याभूति हैं। पंचायती राज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना है।

प्राचीन काल में भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विकास हुआ उसका राजनीतिक स्वरूप कम और सामाजिक अधिक था। ग्राम पंचायत गांव के संपूर्ण जीवन को दिशा देती थी तथा भारतीय ग्रामीण जीवन स्वावलंबी था। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने के लिए संविधान निर्माता ने संविधान में अनुच्छेद 40 को सम्मिलित किया। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बना और पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत में पंचायतीराज के स्तर पर महिलाओं की व्यापक भागीदारी को दुनिया के सामने सही ढंग से प्रस्तुत करना होगा।

अध्ययन के उद्देश्य – इस शोध अध्ययन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:

1. पंचायती राज अधिनियम के द्वारा जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के विकास की जानकारी प्राप्त करना।
2. इस अध्ययन के माध्यम से पंचायतीराज अधिनियम के कारण पंचायत में जनजातीय महिलाओं की भागीदारी की जानकारी प्राप्त करना।
3. निर्वाचित जनजातीय महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त अधिकारों एवं उनके द्वारा किए जाने वाले दायित्वों के निर्वहन की सही जानकारी प्राप्त करना।

अध्ययन क्षेत्र – म.प्र. प्रस्तुत शोध जनजातीय बहुल सतना जिले के संदर्भ में किया गया है। अत: जिले के सभी विकासखण्डों को इस अध्ययन में शामिल किया गया है।

न्यादर्श का चयन – न्यादर्श शोध का आधार होता है न्यादर्श से प्रदत्तों का संकलन कर उनका विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है फिर परिणाम और निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। शोधार्थी शोध अध्ययन हेतु न्यादर्श का चयन यादृच्छिक चयन पद्धति के आधार पर जिले के विकासखण्डों को समान प्रतिनिधित्व देते हुए प्रत्येक विकास खंड से 4-4 प्रतिनिधि कुल 20 जनप्रतिनिधि, 10-10 जनजातीय नागरिक कुल 50 जनजातीय नागरिक, 4-4 समाजसेवी कल 20 समाजसेवी एवं 2-2 अधिकारी कुल 10 अधिकारियों को न्यादर्श में चयनित किया गया

परिकल्पना – पंचायतीराज अधिनियम द्वारा लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण कि दिशा में जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के विकास की जानकारी कई स्रोतों एवं आकड़ों को सत्यापित करके ही ज्ञात की जा सकती हैं।

शोधार्थी की परिकल्पना इस प्रकार है:

1. शोध क्षेत्र के पंचायतों के चुनाव में जनजातीय महिलाएं बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।
2. शोध क्षेत्र की निर्वाचित जनजातीय महिलाअपने दायित्वों का निवर्हन ठीक ढंग से कर रही हैं।

शोध प्रविधि– अनुसंधान कार्य में पंचायतीराज अधिनियम के कारण एस.टी. महिला में सही एवं विश्वसनीय जानकारी हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। उपकरण के रूप में साक्षात्कार, अनुसूची के माध्यम से

प्रदत्तों का संकलन किया गया। संग्रहण व्याख्या विश्लेषण द्वारा वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की।

जनजातीय महिलाओं के राजनीतिक जागरूकता के विकास की जानकारी-

उपकरण- साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली।

तालिका क्रमांक-1: क्या पंचायतीराज अधिनियम के कारण पंचायतों के चुनाव में जनजातीय महिलाएं बढ़-चढकर भाग ले रही हैं?

उत्तरदाता -ओं का वर्ग	उत्तरदाता -ओं की संख्या	हाँ		नहीं		नहीं पता	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
जनप्रतिनिधि	20	13	65%	05	25%	02	10%
जनजातीय नागरिक	50	29	58%	08	16%	13	26%
समाजसेवी	20	14	70%	04	20%	02	10%
अधिकारी	10	06	60%	03	30%	01	10%
कुल योग	100	62	62%	20	20%	18	18%

उपरोक्त तालिका क्रमांक-01 स्पष्ट है कि चयनित 100 उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि, जनजातीय नागरिक, समाजसेवी एवं अधिकारी शामिल हैं, जिनमें 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायतीराज अधिनियम के कारण जनजातीय महिलाएँ पंचायत चुनाव में बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं। जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि पंचायतीराज अधिनियम के कारण जनजातीय महिलाएँ पचायत चुनाव में बढ़-चढकर भाग नहीं ले रही हैं तथा 18 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है।

तालिका क्रमांक-2: क्या पंचायतीराज अधिनियम के कारण निर्वाचित जनजातीय महिला जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों का निवर्हन ठीक ढंग से कर रही हैं?

उत्तरदाता -ओं का वर्ग	उत्तरदाता -ओं की संख्या	हाँ		नहीं		नहीं पता	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
जनप्रतिनिधि	20	14	70%	05	25%	01	05%
जनजातीय नागरिक	50	13	66%	14	28%	03	06%
समाजसेवी	20	15	75%	04	20%	01	05%
अधिकारी	10	06	60%	03	30%	01	10%
कुलयोग	100	68	68%	26	26%	06	06%

उपयुक्त तालिका क्रमांक 02 से स्पष्ट है कि न्यादर्श में चयनित कुल 100 उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि, जनजातीय नागरिक, समाजसेवी एवं अधिकारी शामिल हैं, जिनमें 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि पंचायतीराज अधिनियम के कारण निर्वाचित एस.टी. महिला जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों का निवर्हन ठीक ढंग से कर रही है। जबकि 26 प्रतिशत का मानना है कि जनजातीय महिला जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों का निवर्हन ठीक ढंग से नहीं कर रही है तथा 06 प्रशित उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है।

निष्कर्ष- उपरोक्त तालिकाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि पंचायतीराज अधिनियम के कारण पंचायतों के चुनाव में जनजातीय महिलाएं बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं और अपने दायित्वों का निवर्हन भी ठीक ढंग से कर रही हैं तथा जनजातीय महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का विकास हुआ है।

सुझाव:

1. स्वार्थी राजनैतिक तत्वों को जनजातीय समाज से दूर रखा जाए।
2. समय-समय पर जागरूक अभियान चलाया जाए।
3. स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. दत्स विजय रंजन (1997), पंचायतीराज संकल्पना और वर्तमान स्वरूप, वाराणसी।
2. योजना, अंक जनवरी, (2014)
3. बंग ठाकुरदास, (1997) हमारे गाँव में हम सरकार, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी।

****